भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1859

04 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में अंग प्रतिरोपण की प्रक्रिया

1859 # श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अंगदान, मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 द्वारा शासित होता है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में अंग प्रतिरोपण वर्तमान में एक जटिल प्रक्रिया है तथा अंगों की अत्यधिक मांग और उनकी सीमित उपलब्धता के बीच एक बड़ा असंतुलन विद्यमान है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में प्रतिरोपण समितियों के नियमों तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रियाओं में एकरूपता के अभाव के कारण रोगियों और उनके परिवारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) अंग प्रतिरोपण को सुलभ, व्यापक रूप से उपलब्ध और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन-से नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जी, हाँ।

(ख) और (ग): मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के अनुसरण में, भारत सरकार ने देश में अंग दान और प्रतिरोपण से संबंधित प्रक्रियाओं को निरूपित और निर्धारित करने के लिए वर्ष 2014 में मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण (टीएचओटी) नियम अधिसूचित किए हैं। मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण (टीएचओटी) नियम, 2014 के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने की प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) के तहत मृत दाताओं से अंग और ऊतक प्राप्त करने तथा प्रतीक्षा कर रहे प्राप्तकर्ताओं को उनका आवंटन करने के लिए एक कुशल और संगठित प्रणाली प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन (नोट्टो) के साथ नेटवर्किंग संगठनों का एक तीन-स्तरीय ढांचा, क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन (रोट्टो) और राज्य स्तर पर राज्य अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन (सोट्टो) की स्थापना की गई है।

(घ): रोट्टो और सोट्टो के साथ मिलकर नोट्टो विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देने के लिए जानकारी का प्रसार करने हेतु पूरे देश में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। पोस्टर बनाना, नारे लिखना, विशेष प्रतिज्ञा अभियान जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यकलाप नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। अंग और ऊतक दान के बारे में जानकारी, जिसमें आईईसी सामग्री का प्रदर्शन भी शामिल है, नोट्टो वेबसाइट www.notto.mohfw.gov.in के माध्यम से प्रसारित की जाती है। इसके अतिरिक्त, अंगदान के लिए जानकारी, टेली-काउंसलिंग और समन्वय प्रदान करने हेतु 1800114770 टोल -फ्री हेल्पलाइन नंबर वाला 24x7 कॉल सेंटर भी कार्यशील है। प्रतिदिन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से संदेशों का प्रसारण भी किया जा रहा है। नागरिक वेब पोर्टल https://notto.abdm.gov.in के माध्यम से अंग और ऊतक दान की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। आज की तारीख तक, 5 लाख से अधिक आधार सत्यापित प्रतिज्ञाओं को पंजीकृत किया गया है।

******